

लालकुआं अपराध में पीड़िता का नाम उजागर करने पर सौंपा ज्ञापन

नैनीताल

हमारे संवाददाता भाजपा महिला मोर्चा ने मंगलवार को नैनीताल में पुलिस कक्षान प्रहलाद सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने लालकुआं मामले में पीड़िता का नाम उजागर करने वाले कांग्रेसी नेता पर तकाल कार्यवाही की मांग की।

इस दौरान मोर्चा की प्रदेश महानंदी भावना मेहरा ने कहा कि पीड़िता का नाम सर्वजनिक करना ना केवल सुप्रीम कोर्ट की गाड़ लाइंस का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह भारतीय न्याय की धारा 72 के तहत भी अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा गया है कि मुख्यमंत्री पुक्कर सिंह धर्मी ने प्रदेश में महिला अधिकारों को लेकर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। लालकुआं मामले में पुलिस ने तुरंत एक आई आर दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी थी बावजूद इसके कांग्रेसी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर



पीड़िता की पहचान उजागर करना बेदर असंवेदनशील है।

एसएसपी को सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा महिला मोर्चा ने सभी दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए संबंधित कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता और उसके परिवार की

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मामले को प्राथमिकता से लिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कक्षान ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रक्रण में सीओ लालकुआं को मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

इस दौरान नैनीताल महिला मोर्चा की मंडल अधिकारी कविता गंगोला,

जिला महामंत्री डा. प्रगति प्रगति जैन समेत दीपिका बिनवाल, पूर्व सभासद तारा राणा व प्रेमा अधिकारी समेत जीवंती भट्ट, नीतू जोशी, ज्योति ढोडियाल, लता दफेरी, मीरा विठ्ठल, वर्षा आर्या, कंचन जोशी तथा मीनाक्षी आर्या आदि मौजूद रहे।

महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग

नैनीताल। नैनीताल में रोड हंडर बैनर तरे युवाओं ने देश में हो रही महिला हिंसा का विवाद किया। बता दें कि दोपहर में कार रेती के दौरान हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हल्द्वानी रश्म लम्पाडिया समेत पूर्व छात्र सचिव नैनीताल रविंश सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संघर्ष कुमार, अमित पांडे, दौरान युवाओं ने देश में महिलाओं के साथ हो रही बढ़नाओं तक दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में



NEWS / फटाफट

विजली चोरी करने के जरूर में एक साल का कारावास व अर्धदंड

नैनीताल। जिला एवं सरकारी विद्यालय नैनीताल सुवर्ण कुमार की अदाकर ने बिजली चोरी करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 1 साल के कठोर कारावास व 1.80 लाख रुपये अर्धदंड की धारा सुनाई है। अधिकारी पक्ष के अनुसार विद्युत विभाग हल्द्वानी के ऊपर खण्ड अधिकारी नीरज पांडे ने 2 फरवरी 2021 को हल्द्वानी थाने में राजपुरा हल्द्वानी निवासी मुहब्बत शाह पुर जुम्मन शाह के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया, उस पर बिजली मीटर के बिजली लाइन में काटिया डालकर 333 किलोवाट घेरल व 0.24 कोटीवाल व्यवसायिक बिजली चोरी करने का आरोप है। जो 799 प्रतिमान वर्षा के लिए निर्वेश प्रतिमान घेरलू वर्षा, यितरका मूल्य 1.37 लाख है। जबकि व्यवसायिक बिजली का मूल्य 30 लाख के कठोर है जो कुल 1.67 लाख है। अधिभोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिकारी (फौजदारी) सुधार करना था जिसमें काटिया लाइन के लिए लोगों को रोपाया जाएगा। इस मार्ग के पर मूल मेहरा, राजेंद्र सिंह मनराल, विकाश सिंह, उमेश सिंह मनराल, आंदं दिन विकाश नवीन नैनवाल, ईश्वरी दत आली, रमेश आली, रमेश सिंह बिष्ट, हरीश सिंह बिष्ट, संजय सिंह बिष्ट राजेंद्र मेहरा, हेंद्र बिष्ट, मौजूद थे।



नैनीताल

हमारे संवाददाता

नैना गांव स्थित भूमिया मंदिर से लगभग 51 किलो का बंदा बीती रात्रि चोरी होने से गांव में संसारी फैल गई और घटना को लेकर लोगों में रोष है और गांव में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है एक कहावत तो सुनी होगी यह का भेदी लंका द्वारा घटना से ऐसा प्रतीक होता है कि इसमें कूह गांव के गांव को भेदी लंका द्वारा थाना तल्लीत पहुंचे और अंग चोरों का जानकारी दी जाता रही रात्रि चोरों द्वारा मंदिर का बंदा चोरों द्वारा बंदा चोरों द्वारा चुनालिया लिया गया है तहरीर देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की उहाने बताया पूर्व में भी कई बार क्षेत्र प्रक्रिया के दौरान बंदा अधिकारी ने अवश्य करोंग। संरक्ष के स्वयंसेवकों ने आने वाले कुमाऊं साक्षकारी आयोजनों के बारे में भी अवगत कराया।

में कुमाऊं प्रथाओं, खान पान व अन्य रोजमरा जीवंती की जीलकिया रोचक रूप में प्रदर्शित की गयी। सामारोह में प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गयी जिसमें छात्रों ने बड़-चूड़ कर प्रतिभाग किया। सभी प्रतिभागियों ने एक कुमाऊं सम्पूर्ण गान गाया और यह भी निश्चय किया कि वह प्रतिदिन कुछ वार्तालिया कुमाऊं में 100 से अधिक छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्र-छात्राओं ने कुमाऊं भाषा में स्वचित रचनाएं सुनायीं और ग्रामीण परिवेश को नाटक के रूप

भीमताल

हमारे संवाददाता

ग्राफिक एवं हिल यूनिवर्सिटी में समावार को कुमाऊं भाषा दिवस मनाया गया। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कुमाऊं कल्चर एंड हैरिटेज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्र-छात्राओं ने कुमाऊं भाषा में स्वचित रचनाएं सुनायीं और ग्रामीण परिवेश को नाटक के रूप

नोट

समाचार पत्र में छपे लेख, पत्र व अन्य कालमों में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

- संपादक

पर्व प्रधान संपादक:

स्व. वेदप्रकाश गुप्ता
स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा
उत्तरांचल दीप प्रेस
हल्द्वानी से मुद्रित एवं प्रकाशित संपादक- श्रीमती आदेश अग्रवाल प्रबंध संपादक- साकेत अग्रवाल
टूर्भाष : 05946-224556
फैक्स: 05946-283801
e-mail: Uttaranchaldeep@gmail.com
www.dainikuttaranchaldeep.com
आरएनए ईन. UTTIN/2009/ 32558

समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होते हैं।

संस्थापक: स्व. मुना बाबू राजपूत

लालकुआं अपराध में पीड़िता का नाम उजागर करने पर सौंपा ज्ञापन

नैनीताल की मांग की

महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग

महिलाओं के साथ हो रही लगातार दुष्क्रम की घटनाएं देश में महिलाओं में डर का माहिल पैदा कर रही हैं। सभा के बाद मौजूद लोगों ने नैनीताल से तल्लीताल से तकारी कर महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हल्द्वानी रश्म लम्पाडिया समेत पूर्व छात्र सचिव नैनीताल रविंश सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संघर्ष कुमार, अमित पांडे, जितेंद्र पांडे, शिवम बजार, करन अरोड़ा, नंदें राठौर, विश्वाल सैनी तथा प्रियंशु विद्यालय जीवंती शामिल युवाओं ने एकत्र आकर आप सभा की धारा 72 के तहत भी अपराध है। उन्होंने कहा कि देश में

महिलाओं के साथ हो रही लगातार दुष्क्रम की घटनाएं देश में महिलाओं में डर का माहिल पैदा कर रही हैं। सभा के बाद मौजूद लोगों ने नैनीताल से तल्लीताल से तकारी कर महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हल्द्वानी रश्म लम्पाडिया समेत पूर्व छात्र सचिव नैनीताल रविंश सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संघर्ष कुमार, अमित पांडे, जितेंद्र पांडे, शिवम बजार, करन अरोड़ा, नंदें राठौर, विश्वाल सैनी तथा प्रियंशु विद्यालय जीवंती शामिल युवाओं ने एकत्र आकर आप सभा की धारा 72 के तहत भी अपराध है। उन्होंने कहा कि देश में

महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग

महिलाओं के साथ हो रही लगातार दुष्क्रम की घटनाएं देश में महिलाओं में डर का माहिल पैदा कर रही हैं। सभा के बाद मौजूद लोगों ने नैनीताल से तल्लीताल से तकारी कर महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हल्द्वानी रश्म लम्पाडिया समेत पूर्व छात्र सचिव नैनीताल रविंश सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संघर्ष कुमार, अमित पांडे, जितेंद्र पांडे, शिवम बजार, करन अरोड़ा, नंदें राठौर, विश्वाल सैनी तथा प्रियंशु विद्यालय जीवंती शामिल युवाओं ने एकत्र आकर आप सभा की धारा 72 के तहत भी अपराध है। उन्होंने कहा कि देश में

महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग

महिलाओं के साथ हो रही लगातार दुष्क्रम की घटनाएं देश में महिलाओं में डर का माहिल पैदा कर रही हैं। सभा के बाद मौजूद लोगों ने नैनीताल से तल्लीताल से तकारी कर महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हल्द्वानी रश्म लम्पाडिया समेत पूर्व छात्र सचिव नैनीताल रविंश सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संघर्ष कुमार, अमित पांडे, जितेंद्र पांडे, शिवम बजार, करन अरोड़ा, नंदें राठौर, विश्वाल सैनी तथा प्रियंशु विद्यालय जीवंती शामिल युवाओं ने एकत्र आकर आप सभा की धारा 72 के तहत भी अपराध है। उन्होंने कहा कि देश में

महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग

महिलाओं के साथ हो रही लगातार दुष्क्रम की घटनाएं देश में महिलाओं में डर का माहिल पैदा कर रही हैं। सभा के बाद मौजूद लोगों ने नैनीताल से तल्लीताल से तकारी कर महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हल्द्वानी रश्म लम्पाडिया समेत पूर्व छात्र सचिव नैनीताल रविंश सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संघर्ष कुमार, अमित पांडे, जितेंद्र पांडे, शिवम बजार, करन अरोड़ा, नंदें राठौर, विश्वाल सैनी तथा प्रियंशु विद्यालय जीवंती शामिल युवाओं ने एकत्र आकर आप सभा की धारा 72 के तहत भी अपराध है। उन्होंने कहा कि देश में

महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग

महिलाओं के साथ हो रही लगातार दुष्क्रम की घटनाएं देश में महिलाओं में डर का माहिल पैदा कर रही हैं। सभा के बाद मौजूद लोगों ने नैनीताल से तल्लीताल से तकारी कर महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हल्द्वानी रश्म लम्पाडिया समेत पूर्व छात्र सचिव नैनीताल रविंश सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संघर्ष कुमार, अमित पांडे, जितेंद्र पांडे, शिवम बजार, करन अरोड़ा, नंदें राठौर, विश्वाल सैनी तथा प्रियंशु विद्यालय जीवंती शामिल युवाओं ने एकत्र आकर आप सभा की धारा 72 के तहत भी अपराध है। उन्होंने कहा कि देश में

महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग

महिलाओं के साथ हो रही लगातार दुष्क्रम की घटनाएं देश में महिलाओं में डर का माहिल पैदा कर रही हैं। सभा के बाद मौजूद लोगों ने नैनीताल से तल्लीताल से तकारी कर महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हल्द्वानी रश्म लम्पाडिया समेत पूर्व छात्र सचिव नैनीताल रविंश सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संघर्ष कुमार, अमित पांडे, जितेंद्र पांडे, शिवम बजार, करन अरोड़ा, नंदें राठौर, विश्वाल सैनी तथा प्रियंशु विद्यालय जीवंती शामिल युवाओं ने एकत्र आकर आप सभा की धारा 72 के तहत भी अपराध है। उन्होंने कहा कि देश में

महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग

महिलाओं के साथ हो रही लगातार दुष्क्रम की घटनाएं देश में महिलाओं में डर का माहिल पैदा कर रही हैं। सभा के बाद मौजूद लोगों ने नैनीताल से तल्लीताल से तकारी कर महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हल्द्वानी रश्म लम्पाडिया समेत पूर्व छात्र सचिव नैनीताल रविंश सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संघर्ष कुमार, अमित पांडे, जितेंद्र पांडे, शिवम बजार, करन अरोड़ा, नंदें राठौर, विश्वाल सैनी तथा प्रियंशु विद्यालय जीवंती शामिल युवाओं ने एकत्र आकर आप सभा की धारा 72 के तहत भी अपराध है। उन्होंने कहा कि देश में

महिला हिंसा में लिप्त दोषियों को सजा देने की मांग

महिलाओं के साथ हो रही लगातार दुष्क्रम की घटनाएं देश में महिलाओं में डर का माहिल पैदा कर रही हैं। सभा के बाद मौजूद लोगों ने नैनीताल से तल्लीत

News

काँसर

गैंगस्टर एक्ट का आरोपी दोषमुक्त करार

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुबोर कुमार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।

आरोपी यूसुफ यहु हसमत निवासी शेखापुर इलामनगर बहड़ी बरेली को हल्द्वानी पुलिस ने 21 नवम्बर 2017 के चौरों के आरोप में उसके सहयोगी आसिफ के साथ गिरफतार किया था। उनके खिलाफ कई लोगों ने चौरों को गवाही दी थी। इसी बाद 6 अगस्त 2018 को यूसुफ व अन्य पर गैंगस्टर लगा दिया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान चबाचब पक्ष की ओर से अधिकारक नवीन चंद्र उस पर लगाये गए आरोपों के गलत बताया और गैंगस्टर एक्ट लगाने के अन्वित बताया। उन्होंने पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।

विन्दुखता में स्थानीय निवासियों को फलदार पौधे बाटे



हल्द्वानी/नैनीताल। बैते रोज सोमवार सायकाल बिन्दुखता के संबंध नगर अन्वेषकर पार्क में स्थानीय निवासियों को दिव्यांगों समिति द्वारा फलदार पौधे निशुल्क तरीके से लेकर हल्द्वानी बस स्टेशन में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ नरेवाजी भी की।